न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 111/2022 बउनवानी राजू कांकोरिया बनाम लो.सू.अधि.एवं जिला रसद अधि.स0मा0 पुत्र स्व0 श्री देवीनारायण कांकोरिया ग्राम व पोस्ट खण्डार

GCMS No-2022/192

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
19.10.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी स0मा0 की ओर से पैरोकार रसद उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 6.8.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधि0 स0मा0 के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः— 1. जिला रसद अधि0 सवाईमाधोपुर से जारी पत्रांक/3548—54 दिनांक 27.6.2013 2. पत्र कमांक रसद/शिकायत/10/5968 दिनांक 10.9.2012 3. पत्र कमांक/जि.र.अ./स0मा0/प्रवर्तन/3244 दिनांक 13.10.2011 4. पत्र कमांक/शिकायत/2014/2787 दिनांक 11.12.2014 ओर खाद्य नागरिक आपूर्ति ओर उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान सरकार के कार्यालय से जारी पत्र कमांक एफ.77(2) खा0वि0/सत./विविध/स0मा0/11 दिनांक 29.8.2012 एवं पत्रांक 1487 दिनांक 5.8.2014 में अंकित बिन्दुओ के अनुसार दिनांक 6.8.2022 तक जिला रसद अधिकारी स0मा0 द्वारा की गयी कार्यवाही की गयी कार्यवाही के समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित नकल निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार रसद ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस कमांक/सूकाअ/2022/18 दिनांक 27.9.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा बाडमेर जिले के 24 राशनकार्डो मे फर्जी ट्रान्जेक्शन कर राशन सामग्री का गबन करने के कारण उसका प्राधिकार पत्र दिनांक 5.8.2020 को निरस्त किया गया है जिसकी अपील न्यायालय मे जैरकार है। उक्त अनुज्ञा पत्र को बहाल करवाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अनावश्यक/विस्तृत एवं अपूर्ण विवरण की सूचना मांगकर कार्यालय के कार्मिको/अधिकारी पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त संबंध मे अपीलान्ट को पूर्व मे सूचना दी चुकी है तथा कई बार लिखित एवं मौखिक अवगत कराया जा चुका है कि किसी व्यक्ति विशेष/पत्रावली की सूचना के लिए कार्यालय मे उपस्थित होकर वांछित सूचना का अवलोकन कर चिन्हित कर लेवे। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार रसद द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक ...2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 मे चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जानी चाहिए थी किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। अतः लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार वांछित सूचना अपीलान्ट को 15 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:38:26 IST
Reason: SelfAttested